न्यायालय लेण्ड रेकार्ड अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी – शक्तिसिंह भाटी, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 04/2018
दायर दिनांक – 11/01/2018
निर्णय दिनांक – 01/05/2018

अनवान

1. दुर्गा देवी पत्नि मांगीलाल रेगर, निवासी रेगर मोहल्ला , राजसमंद जिला राजसमंद

प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर महोदय राजसमन्द
2. तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द

विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट</u>

प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के प्रस्तुत किया कि प्रार्थीया की खातेदारी एवं आधिपत्य की ग्राम पिपली अहिरान में आराजी सं 896 ,897, 900, 1780/889 कुल किता 4 कुल रकबा 5–04 बीघा कृषि भूमियां स्थित है। प्रार्थना पत्र की कलम सं एक में वर्णित कृषि भूमि के आराजी सं 1780/889 रकबा 1–18 बीघा मे से 1–05 बीघा बंझड भूमि, 0–07 बीघा बाडा एव 0–06 बीघा भूमि रास्ते के रूप मे अंकित है। किन्तु रास्ता उक्त आराजी के बिचो बीच स्थित होने से प्रार्थीया अपनी आराजी पर स्वतंत्र रूप से उपयोग उपभोग नही कर पा रही है। उक्त आराजी मे छः बिस्वा स्थित रास्ता बीच मे से निकलते हुए उक्त आराजी के दक्षिणी पूर्वी काने मे से अन्यत्र रास्ते मे जाकर मिल रहा है जिसके प्रमाण में वर्ष 2012 की नक्शाट्रेस प्रस्तुत है। वर्तमान मे आराजी सं 888, 890 व 891 का रकबा आबादी भूमि में सपंरिवर्तन हो चुका है।। एव उक्त आराजीयात के उत्तरी दिशा की तरफ करीब 30 फीट चौडा रास्ता छोड रखा है। जिससे प्रार्थीया का भी उक्त रास्ता जो 0–06 बिस्वा का अंकित है। वह उक्त आराजी के दक्षिण दिशा के समानान्तर अंकित कर दिया जावें ताकि प्रार्थीया अपने आराजी का एवं रास्ते का सभी लोग सही रूप से उपयेाग उपभोग करते रहे। आराजी सं 1780/889 के आस पास की सभी कृषि भूमियां आबादी में स्थानान्तरित हो चुकी है। केवल मात्र प्रार्थीया के ही उक्त भूमि कृषि भूमि के रूप मे स्थित है। तथा जो रास्ता पूर्व दिशा में स्थित है। उस रास्ते में उक्त रास्ता भी तिरछा मिल रहा है। जिससे प्रार्थीया को उक्त रास्ते के संदर्भ में काफी परेशानिया उत्पन्न हो रही है। जिससे नजरी नक्शे में लाल स्याही में वर्णित अनुसार उक्त 0–06 छ बिस्वा रास्ते को उक्त आराजी के बीच में से हटाकर दक्षिणी दिशा की तरफ समानान्तर रूप से स्थापित कर दिया जावें तो प्रार्थीया को एवं

शा

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

अन्य आने जाने वाले को रास्ते का सही रूप से उपयोग उपभोग हो सकेगा। वर्तमान में स्थित रास्ते को प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे मे नीली स्याही से अंकित कर रखा है और जहां से रास्ता चाहा गया है अर्थात् उक्त रास्ते के बजाये जहां उक्त रास्ते का रकबा स्थापित करना चाहा गया है उसे नजरी नक्शे मे लाल स्याही से अंकित कर रखा है। प्रार्थीया द्वारा उपनी उक्त आराजी का सही रूप से एवं स्वतंत्र रूप से उपयोग उपभोग करते हेतू उक्त प्रकार का परिवर्तन कराया जाना नितान्त आवश्यक है जिसे बाबत उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त प्रार्थना पत्र का वाद हेतूक विपक्षीगण को प्रार्थीया द्वारा कई मर्तबा मौखिक एवं लिखित रूप से करने पर भी एवं अन्तिम मर्तबार दिनांक 02.01.2018 को कहने पर भी नही करने देने से उक्त प्रार्थना पत्र का हेतूक दिनांक 02.01.2018 को उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी सं 1789/899 के 0–06 बिस्वा रास्ते को नजरी नक्शे मे वर्णित नीली स्याही के बजाये लाल स्याही में वर्णितानुसार अर्थात् उक्त आराजीयात् के दक्षिण दिशा के समानान्तर अकित कर राजस्व अभिलेख मे शुद्धिकरण किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली पेरोकार सरकार के जवाब में नियत थी कि प्रकरण को राज्य सरकार द्वारा आयोजित राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार–2018 के तहत दिनांक 01/05/2018 को ग्राम पंचायत पिपली अहिरान पर नियत शिविर पर रखी गयी। जिस पर तहसीलदार रेलमगरा द्वारा बाद मौका जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाकर किसी प्रकार की कोई आपत्ति की जाना प्रकट नही की जाकर शुद्वि की जाने पर सहमति प्रदान की गयी।

प्रार्थीया अधिवक्ता एवं पेरोकार सरकार को सुना गया। पत्रावली एवं उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। तहसीलदार रेलमगरा द्वारा अनापत्ति जाहिर किये जाने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पिपली अहिरान के आराजी सं 1789/899 के 0–06 बिस्वा रास्ते को तहसीलदार रेलमगरा द्वारा प्रस्तुत नक्शा ट्रेस मे प्रस्तावित अनुसार राजस्व अभिलेख मे शुद्धिकरण किये जाने का आदेश प्रदान किये जाते है। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 01/05/2018 को कैम्प स्थल पिपली अहिरान पर सुनाया गया।

शक्ति

(शक्तिसिंह भाटी)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा